Office of Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 अल्मोड़ा

उपस्थिति 1– चामू सिंह गस्याल सदस्य–न्यायिक
2– ओपी दीक्षित सदस्य–तकनीकी

परिवाद संख्या–186 / 2024

श्री पान सिंह महरा वादी
निवासी –खत्याड़ी–कौतली,
अल्मोडा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोड़ा।

1 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके संयोजन संख्या एआर 26552055137 के सापेक्ष स्वीकृत भार 1 किलोवाट है जिसको माह जनवरी 2024 से बढाकर 3 किलोवाट कर दिया गया है जिसके कारण फिक्सड डिमांड चार्जिज तथा अतिरिक्त सिक्योरिटी प्रतिमाह बिलों में जोड़ा जा रहा है जो कि न्यायसंगत नहीं है। उन्होने इसे हटाने के लिए निवेदन किया है
उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या पत्र संख्या 624 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2 मंच की अंतिम सुनवाई तिथि 04.10.2024 में वादी की तरफ से श्री पान सिंह महरा तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के संयोजन की अधिकतम डिमांड दिसंबर 2023 में 3 किलोवाट, फरवरी 2024 में 2 किलोवाट तथा अप्रैल 2024 में 3 किलोवाट रिकार्ड की गयी है जिसके औसत के आधार पर सिस्टम द्वारा वादी का विद्युत भार 1 किलोवाट से 3 किलोवाट बढा दिया गया है। उन्होने बताया कि इस बढे हुए विद्युत भार के आधार पर वादी के बिलो में फिक्सड डिमांड चार्जिज तथा माह वार अतिरिक्त सिक्योरिटी की किस्तें वसूली जा रही है। वादी ने बताया कि अधिकतर अल्मोड़ा से बाहर रहते है और वह अपना विद्युत भार कम कराना चाहते है ।

वाद सं० 186/2024

3 आज मामले की सुनवाई के दौरान एम आर आई रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया। एम आर आई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.09.2022 को रीडिंग 437.90 यूनिट से बढकर दिनांक 01.10.2022 को एकाएक 7297.40 दर्शायी गयी है। इससे यह प्रतीत होता है यह प्रकरण जंप रीडिग से संबंधित है।

आदेश

एम आर आई रिपोर्ट में जंप रीडिग आने के दृष्टिगत, विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी का मीटर 10 दिन के अंदर बदल दिया जाए। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है नये मीटर के 6 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 6 महीने की अवधि बीतने के पश्चातृ 15 दिन के अंदर संसोधित बिल वादी को उपलब्ध कराया जाए, तत्पश्चात् उपरोक्त पर अनुपालन आख्या 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत वाद को निस्तारित किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 04.10.2024

ओपी दीक्षित 04/10/2024
सदस्य–तकनीकी

चामू सिंह गर्ब्याल
सदस्य–न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति 1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या – 57 / 2024–25

श्री मुरलीधर देवलाल,
ग्राम देवलाल गांव
जिला पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड पिथौरागढ़
जिला पिथारागढ़

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका बिजली का तार खराब हो गया है, जिसको बदलने की जरूरत है। उन्होंने इसे जल्दी बदलवाने के लिए निवेदन किया है।
   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 99 दिनांक 24.09.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 07.10.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित सुश्री दीक्षा पाण्डे, उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित विद्युत पोल से जुडे बिजली के खराब तार को बदल दिया गया है।
   उपरोक्त पर पुष्टि के लिए वादी श्री मुरलीधर से उनके द्वारा दिए गए फोन न0 7351987941 पर बात करने की कोशिश की गयी, परन्तु उन्होंने फोन नहीं उठाया।

आदेश

विभाग द्वारा उक्त विद्युत पोल से पुराने खराब तार को बदल दिए जाने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

CG 57/2024-25

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 07.10.2024

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 अल्मोड़ा

उपस्थिति 1– चामू सिंह गस्याल सदस्य–न्यायिक
2– ओपी दीक्षित सदस्य–तकनीकी

परिवाद संख्या–195 /2024

श्री पान सिंह
ग्राम– सूरचौंड़ा
पो0ऑ0– बकस्वाड,
तहसील– जैती,
अल्मोडा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोड़ा। प्रतिवादी

1 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके वाद संख्या 172/2024 के अंतर्गत डंप रीड़िग के संशोधन के लिए मंच द्वारा आदेश पारित किया गया था जबकि मीटर की एम आर आई करने के पश्चात्, रीडिग में जंप आने के कारण इसका संशोधन जंप रीड़िग के आधार पर होना चाहिए। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 647 दिनांक 19.09.2024 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2 मंच की सुनवाई तिथि 04.10.2024 में वादी की तरफ से श्री विजय सिंह, भाई, श्री पान सिंह–वादी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व उपस्थित हुए। यह प्रकरण विगत में वाद सख्या 172/2024 के अंतर्गत मंच के आदेश दिनाकं 08.04.2024 के द्वारा निस्तारित किया गया था जिसमें ड़प रीड़िग के आधार पर स्टोर रीड़िग को संबधित अवधि में वितरित करते हुए तथा तत्कालीन टैरिफ स्लेब का लाभ देते हुए विभाग को संशोधित बिल निर्गत करने के लिए आदेशित किया गया था।

04/10/2024

वाद सं० 88195/2024

3 आज मामले की सुनवाई के दौरान एम आर आई रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया। एम आर आई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.09.2022 को रीडिंग 437.90 यूनिट से बढकर दिनांक 01.10.2022 को एकाएक 7297.40 दर्शायी गयी है। इससे यह प्रतीत होता है यह प्रकरण जंप रीडिग से संबंधित है।

आदेश

एम आर आई रिपोर्ट में जंप रीडिग आने के दृष्टिगत, विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी का मीटर 10 दिन के अंदर बदल दिया जाए। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है नये मीटर के 6 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 6 महीने की अवधि बीतने के पश्चातृ 15 दिन के अंदर संसोधित बिल वादी को उपलब्ध कराया जाए, तत्पश्चात् उपरोक्त पर अनुपालन आख्या 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत वाद को निस्तारित किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 04.10.2024

04/10/2024
ओपी दीक्षित
सदस्य–तकनीकी

चामू सिंह गर्स्याल
सदस्य–न्यायिक